भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1601
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के परिवारों को मुआवजा
1601. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में "किसान विरोध प्रदर्शन" के दौरान मारे गए किसानों के शोक संतप्त परिवारों को कोई मुआवजा राशि देने और ऐसे परिवारों के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का विचार है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कानून व्यवस्था तथा इससे संबंधित कार्रवाई का विषय संबंधित राज्य सरकारों का है। मुआवज़ा या अनुग्रह राशि का भुगतान संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य के मानदंडों के अनुसार किया जाता है। ऐसे मामलों का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****